महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक)
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH, HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2014-15/OG-GO/ दिनांक / Dated :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub: Grant of DR @ 100% from 01.01.2014.
Ref: 1. Govt of Jharkhand No 6A-12/2013/1705 dt 15.05.2014.
2. Accountant General (A&E) Jharkhand SS No PEN III/DR/2014-15/287 DT 19.06.2014.

***

I am to enclose herewith a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E), Jharkhand in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully

VSR KNL Prasad

Accounts Officer

Copy to

The Joint Director
Pension Payment Office
MJ Road, Nampally
HYDERABAD for information and necessary action.

Accounts Officer

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

No.PEN-III/Jharkhand/DR/2014-15/ 287 Dated:- 19|06|14

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO. 26 /2014-15

139439285
23/6

To,

The

1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E),Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E),Chatisgarh,12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road,Fafadih, Raipur	492009
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E),Mizoram, Shri Buathranga Building, Dinthar,Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad	211001

Office of the Accountant General (A&E)
INWARD
27 JUN 2014
No.

332280
7/7/14

PM

पो. डोरण्डा, राँची – 834 002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (JHARKHAND)
दूरभाष / Telephone : 0651-2412942, 2412582 तार / Telegram : PRINACCTTS RANCHI फैक्स / Fax : 0651-2411745
E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun	248171
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt, Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Accounts and Treasuries, Got of Pondicherry, Pondichrry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Fllor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject - Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01-01-2014 (Enhanced from 90% to 100%).

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No.वि.प्र. 6 ए -12 / 2013-1705 / वि. Ranchi / dated- 15-05-14 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Yours faithfully

Encl:-As stated above.

Sr. Accounts Officer/Pen-III
Jharkhand, Ranchi

संख्या : वि०प्र० 6ए–12/2013 1707/वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक 15.05.14

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2014 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीयं पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17(ए॰)(बी॰) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अन्य सुविधाऐं सहित महँगाई राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के पत्र संख्या–42/10/2014 P&PW(G) दिनांक 09.04.2014 के द्वारा केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.01.2014 के प्रभाव से 90% (नब्बे प्रतिशत) से बढ़ाकर 100% (एक सौ प्रतिशत) गहँगाई राहत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों के अनुरूप राज्य सरकार ने भी राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2014 के प्रभाव से महँगाई राहत 90% (नब्बे प्रतिशत) से अभिवृद्धि कर 100% (एक सौ प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

4. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना पुनरीक्षित पेंशन अथवा दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् सेवानिवृत्त के समय प्राधिकृत पेंशन के समेकित पेंशन राशि पर किया जायेगा।

5. महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3556/वि॰, दिनांक 09.05.1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगा, जिन्हें क्षतिपूर्ति/बार्धक्य निवृत्ति/असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक/पारिवारिक/असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय महँगाई राहत का भुगतान अनुमान्य होगा।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलंब के परिहार्य हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-I के नियम 344 (I) के तहत राज्य के अंतर्गत बिना महालेखाकार झारखंड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशनभोगियों, द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी महँगाई राहत की राशि का भुगतान करेंगें। साथ ही, सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंको के

Sri Susin
20/05/2014

माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियो को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियां भेज दिये जाय।

8. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखंड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलंब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखंड सरकार, वित्त विभाग को भी दी जाय।

9. दिनांक 01 जनवरी, 2014 के प्रभाव से स्वीकृत इस महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महँगाई राहत की राशि शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप–कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, रांची को प्रेषित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013................... **राँची, दिनांक ....**

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रॉची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में वित्त प्रशाखा–6 को सूचना उपलब्ध करावें/पी०एम०यू० कोषांग के श्री सरोज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013 1705/वि० **राँची, दिनांक** 15.05.14

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले• एवं हक•), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव।

1705/वि० 15/5/14